न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील सं0 112/2019

1.पदम
2.सुमेर
पिसरान रामकिशोर जाति गुर्जर निवासी निमाली तहसील व जिला दौसा।
.. अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार सैंथल जिला दौसा।
...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार सैंथल दिनांक 26.12.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम पदम, सुमेर मु0नं0 388/2018 अंतर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थित : 1. श्री भरतलाल मीणा, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री नवल किशोर शर्मा, पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांकः 28.01.2021

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार सैंथल जिला दौसा ने दिनांक 26.12.2018 को ग्राम निमाली तहसील दौसा के आराजी खसरा नम्बर 236 में से रकबा 0.15 है0 सिवायचक किस्म गै0मु0 पाल भूमि पर संवत 2075 में बाजरा व संतरा की काश्त करने पर अपीलांट्स को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि अपीलांट्स द्वारा किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को समुचित सुनवाई एवं सबूत का मौका नही दिया। पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई सबूत भी नही है। अपीलांट्स को पटवारी से जिरह करने का अवसर नही दिया गया व न ही पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्रदर्शित हुई हैं। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जाँच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट्स को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट सुमेर अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ। अतः अपीलांट्स का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट्स पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आते है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट्स खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जाँच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट्स द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट्स को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट सुमेर अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ है। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अपीलांट्स का यह कथन उचित नही है कि अपीलांट्स को सुनवाई एवं सबूत का अवसर नही दिया गया। पटवारी पटवारी हल्का की रिपोर्ट में खसरा नं0 236 रकबा 0.15 है0 किस्म सिवायचक गै0मु0 पाल भूमि पर बाजरा एवं संतरा की काश्त कर अतिक्रमण करना बताया है। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट्स द्वारा सिवायचक गै0मु0 पाल भूमि पर अतिक्रमण किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सैंथल द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2018 के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 28.01.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official